



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 290 राँची, बुधवार 11 आषाढ़ 1936 (श०)
2 जुलाई, 2014 (ई०)

विधि (न्याय) विभाग ।

अधिसूचना

13 फरवरी, 2014

संख्या- एल० जी०-18/2013-07/लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक-13 फरवरी, 2014 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-02 2014)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित-कर अधिनियम, 05 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) में संशोधन हेतु अधिनियम।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को चौसठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा 4 में संशोधन - धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात एक नयी उपधारा (5) निम्नवत् जोड़ी जाएगी:-

(5) कार्यालय के कार्यों का सुगमतापूर्वक निष्पादन के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को वैट अंकेक्षण को वैट अंकेक्षण प्रमण्डल में पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच कार्य एवं कार्यवाही आवंटित करने की शक्ति होगी और इसमें एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को कार्यवाही का हस्तांतरण की शक्ति भी सम्मिलित होगी।

3. धारा 26 में संशोधन- धारा 26 की उपधारा (2) के पश्चात एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा -

‘ बशर्ते इच्छुक व्यवसायी को निबंधन प्रदान करने के पूर्व आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ’।

4. धारा 30 में संशोधन - (i) धारा 30 की उपधारा (1) की कंडिका (iv) में अंक 1 प्रतिशत प्रति माह को प्रथम तीन महीनों तक के लिए ‘तीन प्रतिशत’ एवं अनुवर्ती माह/माहों के लिए ‘5 प्रतिशत’ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) धारा 30 की उपधारा 4 कंडिका 4(b) में शब्द के तहत के पश्चात तथा शब्द उपधारा (2) के पूर्व, शब्द उपधारा (1) या अंतःस्थापित किया जाएगा।

(iii) उपधारा (4) की कंडिका (d) में शब्द ‘बीस’ को ‘पचास’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) उपधारा (4) की कंडिका (d) में शब्द वर्ष में ‘अधिकतम पाँच हजार’ को ‘पच्चीस हजार’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5 धारा 35 में संशोधन-

(i) धारा 35 की उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:-

(3) उपधारा (5) में उल्लेखित निबंधित व्यवसायी को छोड़कर जहां निबंधित व्यवसायी का सकल आवर्त एक करोड़ तक प्रति वर्ष है, के द्वारा :-

- (a) किसी अवधि का सभी विवरणी समर्पित किया गया हो।
- (b) किसी अवधि का पुनरीक्षित विवरणी एवं वार्षिक विवरणी ससमय एवं विहित रीति से समर्पित हो।
- (c) दाखिल विवरणी या पुनरीक्षित विवरणियों के अनुसार देय कर एवं ब्याज] अगर देय हो, का भुगतान किया गया हो।
- (d) आवश्यकतानुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन विहित रीति से विहित समय के अंदर जमा किया गया हो।

धारा 19 से आच्छादित व्यवसायियों को छोड़कर धारा 35 की उपधारा (1) के तहत ऐसे दाखिल विवरणियों को स्वकर निर्धारण हेतु, अंकगणितीय गलतियों को जो विवरणियों पर द्रष्टव्य होगा छोड़कर, धारा 35 की उपधारा (1) उद्देश्य हेतु कर निर्धारण किया हुआ माना जाएगा।

(ii) उपधारा (8) के बाद एक नयी उपधारा (9) निम्नवत् जोड़ा जायगा:-

(9) उपधारा (3) के प्रावधानों के बावजूद आयुक्त द्वारा कर निर्धारण अथवा पुर्नकरनिर्धारण हेतु ऐसे व्यवसायियों का चयन किया जायगा जिन्हें वे उपधारा (3) के प्रावधान के तहत उपधारा (1) के तहत एक वर्ष में कर निर्धारण हेतु उपयुक्त पायेंगे एवं ऐसा चयन उस वर्ष का एक कैलेन्डर वर्ष के लिए किया जायगा।

(iii) उपधारा (9) के बाद एक नया उपधारा (10) को निम्नवत् जोड़ा जायगा:-

(10)(a) उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत निबंधित व्यवसायी या उपधारा (2) के तहत जो व्यवसायी निबंधन योग्य नहीं हैं पर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र में स्थान एवं तिथि निश्चित करते हुए उन्हें निदेशित करते हुए सूचना निर्गत किया जायगा कि:-

- (i) धारा 91 के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होय या
- (ii) साक्ष्य प्रस्तुत करें अथवा विवरणियों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया होय या
- (iii) उनके व्यवसायी से सम्बद्ध लेखा, पंजी, कैशमेमो अथवा अन्य कागजात प्रस्तुत करेंगे अथवा किया हो।

(b) उपर्युक्त खण्ड (a) का (ii) या (iii) के तहत उपस्थित व्यवसायी अथवा उनके अभिकर्ता की सुनवाई करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करते हुए आयुक्त द्वारा कर निर्धारण अथवा पुर्नकरनिर्धारण किया जायगा।

जैसा धारा 35 के उपधारा (9) के तहत प्रावधानित है आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का हस्तांतरण अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) या वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) या किसी अन्य पदाधिकारी जिन्हें वे उपयुक्त समझें, करेंगे।

6. धारा 37 में संशोधन -

धारा 37 की उपधारा (6) की कंडिका (d) के पश्चात शब्द 'के बराबर' के पश्चात तथा शब्द "अतिरिक्त कर की राशि" के पूर्व शब्द 'दुगुना' को "तिगुना" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. धारा 40 में संशोधन -

(i) धारा 40 की उपधारा (1) के परंतुक में शब्द 'इस उद्देश्य के लिए' शब्द, व्यवसायी द्वारा शास्त्रि द्वारा अतिरिक्त निर्धारित कर की राशि के तिगुना के बराबर भुगतान किया जाएगा।

(ii) धारा 40 की उपधारा (1) के परंतुक में शब्द 37 की उपधारा (6) के प्रावधान के तदनुसार लागू होंगे, विलोपित किए जाएँगे।

(iii) धारा 40 की उपधारा (b) के पश्चात शब्द 'सूद के रूप में प्रत्येक माह के लिए 5 प्रतिशत की दर' से को शब्द "सूद के रूप में छिपाए गए सकल आवर्त या छिपाए गए या गलत विवरण पर कर की राशि का तिगुना" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. धारा 72 में संशोधन -

(i) धारा 72 की उपधारा 3(a) में शब्द 'प्रेषक' के पश्चात शब्द या 'प्रेषिती' जोड़ा जाएगा।

(ii) धारा 72 की उपधारा (5(b) में शब्द 'माल के पश्चात दोनों स्थानों पर' शब्द "या माल सहित वाहक या वाहन" जोड़ा जाएगा।

9. धारा 80 में संशोधन -

धारा 80 की उपधारा (4) में विद्यमान परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा -

‘बशर्ते धारा 80 की उपधारा (4) के अंतर्गत पुनरीक्षणवाद या आवेदन तब ही स्वीकृत किए जाएंगे जब व्यवसायी द्वारा कर-निर्धारण या पुर्नकर निर्धारण या अपीलीय आदेश में सन्निहित निर्धारित कर या स्वीकृत कर की पूर्ण राशि जो भी अधिक हो, का भुगतान किया गया हो।’

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

संख्या-एल० जी०-18/2013-08/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-10 फरवरी, 2014 को अनुमत झारखंड मूल्यवद्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2013

(Jharkhand Act, 02, 2014)

An Act to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Be it enacted in the sixty four year of the Republic of India by the state legislature in the following manner-

- 1. Short title, extent and commencement** – (i) This Act may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.
(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
(iii) It shall come into force w.e.f. date of its issue in the official gazette.

2. Amendment in section- 4

After sub-section (4) of Section- 4, a new sub-section-5 shall be added in the following manner:-

(5) For smooth functioning of the office, it shall be lawful for the Joint Commissioner, VAT Audit to allot work and proceedings amongst the officers posted in VAT audit division as the case may be and it may include transfer of a proceeding from one officer to another officer posted in the same office and exercising concurrent jurisdiction.

3. Amendment in section -26

(i) After sub-section (2) of Section 26, a proviso shall be added in the following manner:-

Provided the previous sanction of the Commissioner is obtained before granting registration to the willing dealer.

4. Amendment in section- 30

(i) In the sub-section (1) (iv) of Section 30, the numeral 1% per month shall be substituted by **3% per month for the first three months and 5% for the subsequent month/months.**

(ii) In the sub-section (4)(b) of Section 30, after the words '**as required under**' and before the word sub-section (2), '**sub-section (1) or**' shall be inserted.

(iii) In the existing clause (d) of sub-section (4), the word '**twenty**' shall be substituted by the word '**fifty**'.

(iv) In the existing clause (d) of sub-section (4), the words '**subject to a maximum of rupees five thousand in a year**' shall be substituted by '**subject to a maximum of rupees twenty five thousand in a year**'.

5. Amendment in section- 35

(i) The sub-section 3 of section 35 shall be substituted in the following manner:-

(3) Where a registered dealer having turnover upto 1 (one) crore per annum other than the registered dealer referred to under sub-section 5 has furnished:-

(a) All the returns for any tax period.

(b) Revised returns and annual returns in respect of any tax period within the prescribed time and in the prescribed manner.

(c) Has paid the tax payable according to such returns or revised returns as also interest payable if any.

(d) Has furnished the Audit report within the prescribed time if required and in the prescribed manner.

The returns so filed are found to be in order shall be accepted as self -assessment in the prescribed manner subject to adjustment of any arithmetical errors apparent on the face of the said return(s) and his assessment shall be deemed to be have been made for the purpose of sub-section (1) of Section 35, provided this provision shall not applicable to dealers covered under section 19 of the Act.

(ii) **After sub-section (8), a new sub-section –(9) shall be added in the following manner:-**

(9) Notwithstanding the provisions of sub-section (3), the Commissioner shall select for assessment or re-assessment a number of such dealers as he deems fit whose assessment for a year is deemed to have been made under sub-section (1) in accordance with the provision of sub-section (3) and such selection shall be made within one calendar year from the said year.

(iii) **After sub-section (9), a new sub—section (10) shall be added in the following manner :-**

(10) (a) The Commissioner shall serve on a registered dealer referred to in the proviso to sub-section (1) or in sub-section (3) or a registered dealer who is not eligible for assessment under sub-section (2) with a notice in the prescribed form appointing a place and day and directing him,-

(i) to appear in person or by an agent entitled to appear in accordance with the provisions of section 91; or

(ii) to produce evidence or have it produced in support of the returns; or

(iii) to produce or cause to be produced accounts, registers, cash memoranda or other documents relating to his business.

(b) The Commissioner, after hearing the registered dealer or his agent and examining the evidence produced in compliance with the requirements of sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (a) and such further evidence as he may require, shall assess or re-assess him to tax.

(c) The Commissioner may delegate his powers to Additional Commissioner or Joint Commissioner (Hq.) or Joint Commissioner of Commercial Taxes (Admn.) or to any other officer as he deems fits as provided under sub-section 9 of Section 35

6. Amendment in section- 37

After sub-section (6)(d) of Section 37, after the words '**a sum equal to**' and before the words '**the amount of additional tax**', the words '**twice**' shall be substituted by '**thrice**'.

7. Amendment in Section- 40

(i) In the proviso of sub-section (1) of Section 40, after the words '**for this purpose**' the words '**the dealer shall pay by way of penalty, a sum equal to thrice the amount of additional tax assessed**' shall be added.

(ii) In the proviso of sub-section (1) of Section 40, the words '**the provisions of sub-section (6) of Section 37 shall apply accordingly**' shall be deleted.

(iii) After the sub-section (2)(b) of Section 40, the words '**by way of interest a sum at the rate of five percentum for each month**' shall be substituted by '**by way of penalty a sum equal to thrice the amount of tax on the concealed turnover or on concealed or incorrect particulars**'

8. Amendment in section- 72

- (i) In the existing sub-section (3)(a), after the word '**consignor**', the words '**or consignee**' shall be added.
- (ii) In the sub-section 5(b) of section 72, after the word 'goods' at both places, the words '**or the carrier or vehicle or vessel alongwith the goods**' shall be added

9. Amendment in section- 80

- (i) After the existing sub-section (4) the existing proviso shall be substituted by the following :-

Provided no revision/ no application under sub-section (4) of section 80 shall be admitted unless the dealer objecting to an order of assessment or re-assessment or appellate order has paid 20 percentum of the tax assessed or full amount of admitted tax, whichever is greater.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।